भारत सरकार

गृह मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या †2677

दिनांक 09.07.2019/18 आषाढ़,1941 (शक) को उत्तर के लिए

आंध्र प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम का कार्यान्वयन

†2677. श्रीमती वांगा विश्वनाथ गीताः

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या आंध्र प्रदेश की राज्य सरकार ने राज्य के विभाजन के बाद, आंध्र प्रदेश राज्य पुनर्गठन अधिनियम, का कार्यान्वयन करने/इसमें तेजी लाने के लिए कोई अभ्यावेदन सौंपा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) इस संबंध में क्या कारवाई की गई है; और

(ग) प्रत्येक मुद्दे की वर्तमान स्थिति क्या है और केन्द्र सरकार द्वारा कार्यान्वयन में देरी के क्या कारण हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री नित्यानंद राय)

(क) से (ग): आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन हेतु आंध्र प्रदेश सरकार और साथ ही तेलंगाना सरकार से अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 के बहुत से प्रावधानों को कार्यान्वित किया जा चुका है। आंध्र प्रदेश पुनर्गठन (एपीआर) अधिनियम, 2014 के शेष प्रावधान कार्यान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। अवसंरचनात्मक परियोजनाओं तथा शैक्षिक संस्थाओं की स्थापना संबंधी कुछ प्रावधान दीर्घ परिपक्वता अवधि वाले हैं, जिसके लिए अधिनियम में दस वर्ष की अवधि

निर्धारित की गई है। आंध्र प्रदेश तथा तेलंगाना के बीच कुछ मुद्दे हैं, जिसके लिए दोनों राज्यों के बीच आपसी सहमति की आवश्यकता है। द्विपक्षीय मुद्दों को सौहार्दपूर्वक हल करने के लिए दोनों राज्यों के बीच आम सहमति बनाने के प्रयास किए जाते हैं। गृह मंत्रालय समय-समय पर संबंधित मंत्रालयों/विभागों और साथ ही साथ आंध्र प्रदेश सरकार तथा तेलंगाना सरकार के प्रतिनिधियों के साथ अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा करता है। अब तक, ऐसी 23 समीक्षा बैठकें आयोजित की गई हैं।

******